"उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959" के प्राविधानों के आलोक में, नगर निगम, देहरादून अन्तर्गत मांस की दुकानों (**Meat Shops**) को अनापत्ति दिये जाने के क्रम में उपविधि का सृजन :

वैधानिक सन्दर्भ :

नगर निगम क्षेत्रांतर्गत मांस विक्रेता प्रतिष्ठान संचालन हेतु कुछ दुकान स्वामी द्वारा अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन नगर निगम को प्रस्तुत किये जाते हैं। वर्तमान में नगर निगम द्वारा प्राप्त आवेदनों पर अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत किये जाने के ना ही मानक निर्धारित है तथा ना ही आवेदनकर्ता से कोई शुल्क है जबकि उक्त कार्य हेतु अधिकारी/कार्मिकों द्वारा निरीक्षण एवं तदुपरांत कार्यालय अभिलेखीकरण का कार्य सम्मिलित होता है। मांस विक्रेता प्रतिष्ठान के संचालन हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत किये जाने हेतु नगर निगम अधिनियम के अर्न्तगत उपविधि का प्राख्यापन व प्रवर्तन प्रस्तावित है।

वैधानिक प्राविधान :

उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 के अन्तर्गत प्राविधान :–

1. अधिनियम की **धारा–541** (अध्याय XVI – Regulation of Markets, Slaughter-houses, certain trades and acts etc.) के अन्तर्गत निगम द्वारा मांस विक्रेता प्रतिष्ठानों के संचालन हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र के क्रम में उपविधि का प्राख्यापन प्रस्तावित है :–

   541. किन प्रयोजनों के लिये उपविधियाँ बनायी जायेंगी–(निगम) समय–समय पर निम्नलिखित विषयों के सम्बन्ध में ऐसी उपविधियाँ बना सकती है, जो इस अधिनियम और नियमों से असंगत न हों,

2. **धारा–421 एवं 422(च) एवं (छ), 426, 427** के अर्न्तगत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए नगर निगम द्वारा अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रदत्त मांस विक्रेता प्रतिष्ठानों का संचालन किया जाना अपेक्षित है :–
3. धारा–451(3) एवं 423 के अनुरुप मांस विक्रेता स्वामी द्वारा कानूनी प्राविधानों (अधिनियम/नियम/उपनियम) के अनुरुप निर्धारित प्रतिबन्धों/शर्तो का उल्लंघन हेतु सिद्धदोष पाये जाने पर, मांस विक्रेता प्रतिष्ठानों के संचालन हेतु निर्गत अनापात्ति प्रमाण–पत्र को निरस्त किये जाने का प्राविधान है :–
4. धारा–467 के अनुरुप किसी भी व्यक्ति को कानूनी प्राविधानों (अधिनियम/नियम/उपनियम/उपविधि /प्रतिबन्ध/शर्त/नोटिस) के उल्लंघन हेतु सिद्धदोष पाये जाने पर दण्डित किये जाने का प्राविधान है :–

नगर निगम, देहरादून क्षेत्रान्तर्गत मांस विक्रेता प्रतिष्ठानों के संचालन हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र दिये जाने के क्रम में प्रस्तावित उपविधि का आलेख

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा मांस विक्रेता प्रतिष्ठानों के संचालन हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र के क्रम में उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा–541 के अन्तर्गत निम्नानुसार उपविधि का प्राख्यापन प्रस्तावित है :–

उपविधि

1. नाम–यह उपविधि "नगर निगम, देहरादून मीट शॉप रेगुलेशन उपविधि, 2022" कहलाएगी।
2. यह उपविधि सरकारी गजट उत्तराखण्ड में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।
3. परिभाषायें: –

(क) "**नगर निगम**" से तात्पर्य नगर निगम, देहरादून व उसकी सीमा से है।
(ख) "**नगर आयुक्त**" से तात्पर्य नगर निगम, देहरादून के नगर आयुक्त से है।
(ग) "**अधिनियम**" का तात्पर्य उ0प्र0 नगर निगम अधिनियम 1959 से है।
(घ) "**वरिष्ठ पशुचिकित्सा अधिकारी**" से तात्पर्य नगर निगम में शासन द्वारा प्रतिनियुक्त पशुचिकित्सा अधिकारी जो कि, केन्द्रीय अधिनियम Indian Veterinary Council Act, 1984 के प्राविधानों के अनुरुप, राज्य पशुचिकित्सा परिषद अन्तर्गत पंजीकृत हो, से है।
(च) "**सक्षम अधिकारी**" का तात्पर्य, नगर आयुक्त से है।
(छ) "**निरीक्षण अधिकारी**" का तात्पर्य नगर आयुक्त द्वारा मांस विक्रेता प्रतिष्ठानों के निरीक्षण हेतु अधिकृत, समय–समय पर उत्तराखण्ड शासन द्वारा पदस्थापित वरिष्ठ पशुचिकित्सा अधिकारी से है।
(ज) "**मीट शॉप**" से तात्पर्य उस परिसर से है जहां भोज्य मांस का विक्रय किया जाता हो, से है।

3. कोई भी व्यक्ति नगर निगम की सीमा के भीतर किसी भी परिसर या परिसर के उपयोग किये जाने वाले भाग जो उसके स्वामित्व में हो, को मांस विक्रय के लिये तब तक उपयोग नहीं करेगा व ना ही किसी अन्य को करने की अनुमति देगा जब तक कि वह नगर निगम से अनापत्ति प्रमाण–पत्र व FSSAI से अनुज्ञा प्राप्त न कर लें।

4. अनापत्ति प्रमाण–पत्र हेतु प्रतिबन्ध

(क)नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत मांस विक्रेता प्रतिष्ठान संचालित किये जाने हेतु अथवा भोज्य मांस विक्रय करने हेतु नगर निगम द्वारा अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा। अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त करने से तात्पर्य यह कदापि नहीं होगा कि वह FSSAI से अनुज्ञा/लाईसेंस प्राप्त किये बिना ही मांस प्रतिष्ठान का संचालन कर सकेगा। (केन्द्रीय अधिनियम खाद्य संरक्षा एवं मानकीकरण अधिनियम, 2006 (Food Safety & Standardization Act, 2006) के प्राविधानों के अनुरुप नगर निगम द्वारा जारी अनापत्ति के उपरान्त खाद्य संरक्षा विभाग द्वारा अनुज्ञा दिया जाना प्रावधानित है।)

(ख)नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत मांस विक्रेता प्रतिष्ठान के संचालन हेतु अथवा भोज्य मांस विक्रय हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त किये जाने हेतु आवेदक को नगर निगम के पक्ष में नगर निगम बोर्ड द्वारा निर्धारित आवेदन शुल्क के साथ, प्रारुप–1 के अनुरुप निर्धारित आवेदन पत्र के माध्यम से वरिष्ठ पशुचिकित्सा

अधिकारी कार्यालय में आवेदन करना होगा। आवेदक द्वारा जमा किया गया आवेदन शुल्क अप्रतिदाय (non refundable) होगा।

(ग) वरिष्ठ पशुचिकित्सा अधिकारी द्वारा, अधिकृत अधिकारी/अधिकारियों/दल द्वारा मांस विक्रेता प्रतिष्ठान का स्थलीय निरीक्षण किया जायेगा, जिसके द्वारा प्रारुप–2 पर स्थलीय निरीक्षण उपरांत आख्या प्रस्तुत की जायेगी।

(घ) सक्षम अधिकारी प्रारुप–2 पर प्रस्तुत स्थलीय निरीक्षण आख्या के आलोक में सम्बन्धित मांस विक्रेता प्रतिष्ठान को अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रदत्त किये जाने के क्रम में निर्णय लेगें। अनापत्ति प्रमाण–पत्र दिये जाने हेतु उपयुक्तता की स्थिति में खाद्य संरक्षा एवं मानकीकरण अधिनियम, 2006 के नियमों का पालन न किये जाने पर अनापत्ति प्रमाण–पत्र हेतु प्राप्त आवेदन को निरस्त किया जा सकता है।

(ङ) मांस विक्रेता स्वामी मांस विक्रेता प्रतिष्ठान हेतु जारी अनापत्ति प्रमाण–पत्र के प्रतिबन्धों/शर्तों के अनुपालन हेतु बाध्य होगा।

(च) मासं विक्रेता स्वामी को अपनी मांस विक्रेता प्रतिष्ठान के मुख्य दीवार पर अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा। निरीक्षण के समय प्रदर्शित न पाये जाने पर रू0 500/– का अर्थदण्ड आरोपित किया जाएगा।

(छ) नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत समय–समय पर मांस विक्रेता प्रतिष्ठान का स्थलीय निरीक्षण किया जा सकेगा। मांस विक्रेता स्वामी द्वारा मांस विक्रेता प्रतिष्ठान हेतु जारी अनापत्ति प्रमाण–पत्र के प्रतिबन्धों/शर्तो का उल्लंघन किये जाने पर अनापत्ति प्रमाण–पत्र का तात्कालिक निलम्बन अथवा पूर्णतः निरस्तीकरण किया जा सकेगा तथा अधिनियम की धारा–467 एवं धारा–451(3) के अनुरुप अर्थदण्ड का आरोपण किया जायेगा जिसकी राशि 10,000/– प्रति अपराध प्रति बार तक हो सकेगी।

(ज) नगर निगम द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी किये जाने की तिथि से कुल 01 वर्ष हेतु मान्य होगा।

(झ) अनापत्ति प्रमाण–पत्र दिये जाने हेतु अनुपयुक्तता की स्थिति में आवेदन के एक माह के भीतर सम्बन्धित प्रकरण के अस्वीकृति की सूचना निर्गत कर दी जायेगी।

(ञ) नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत नगर निगम द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण–पत्र एवं खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा जारी अनुज्ञा के बिना मांस विक्रेता प्रतिष्ठान संचालित किये जाने की दशा में नगर निगम अधिनियम की धारा–467 एवं धारा–451(3) के अनुरुप दण्ड का आरोपण किया जायेगा, जो रू0 25,000/– तक हो सकेगा।

(ट) मांस विक्रेता प्रतिष्ठान के लिए समय–समय पर सक्षम न्यायालयों के पारित आदेशों/बोर्ड/प्राधिकरण/आयोग/विभाग द्वारा जरूरी सभी अनुमतियां प्राप्त करने की जिम्मेदारी मांस विक्रेता स्वामी की होगी तथा इस आशय का शपथ–पत्र भी आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। यदि अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी करने के बाद भी किसी भी सक्षम न्यायालय/बोर्ड/प्राधिकरण/ आयोग/विभाग से मांस विक्रेता स्वामी की मीट शॉप मानकों के अनुरूप नहीं पायी जाती व कोई कार्यवाही की जाती है तो निगम द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण–पत्र स्वतः निरस्त मानी जायेगी।

5. अनापत्ति प्रमाण–पत्र का नवीनीकरण–अनापत्ति प्रमाण–पत्र के नवीनीकरण के लिये अनापत्ति धारक की जिम्मेदारी होगी कि वह अपना आवेदन पिछली अनापत्ति प्रमाण–पत्र के समाप्त होने के 15 दिन पहले

करना अनिवार्य होगा। अनापत्ति प्रमाण–पत्र की वैद्यता समाप्ति के उपरान्त संचालक पर नियम 4(ञ) के तहत कार्यवाही की जाएगी।

6. अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी किये जाने हेतु शुल्क– इस उपविधि के तहत् मांस विक्रेता प्रतिष्ठान के निरीक्षण एवं तत्संबंधी अभिलेखीकरण आदि कार्यवाही के उपरांत अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत किये जाने हेतु 01 वर्ष हेतु शुल्क निम्नवत निर्धारित है।
   1. मुर्गा, मछली एवं अण्डा हेतु रू० 1,000/–
   2. सुअर हेतु रू० 2,000/–
   3. बकरा, भेड़ एवं भैंस हेतु रू० 5,000/–
7. इस उपविधि के प्रकाशन से पूर्व भी निगम द्वारा यदि अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी किया गया हो तो उसकी वैद्यता भी जारी करने की तिथि से एक वर्ष के लिये ही होगी।
8. उक्त, उपविधि के तहत् जारी की गयी प्रत्येक अनापत्ति प्रमाण–पत्र निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी अर्थात्–

(क) प्रस्तावित मांस विक्रेय प्रतिष्ठान किसी भी धार्मिक जगह से पचास मीटर के दायरे में नहीं होनी चाहिए व 100 मीटर से कम दूरी पर ठीक सामने की ओर धार्मिक स्थल का प्रवेश द्वार नहीं होना चाहिए।

(ख) दुकान पर एग्जॉस्ट फेन/सीलिंग फेन लगा होना चाहिए।

(ग) महिषवंशीय एवं सूकरवंशीय पशुओं का मांस विक्रय किये जाने हेतु सम्बन्धित क्षेत्र के पुलिस थाने की अनापत्ति ली जानी अनिवार्य होगी।

(घ) प्रस्तावित मीट शॉप पर गीजर/वॉश बेसिंग/नालियों की व्यवस्था होनी चाहिए।

(ङ) दुकानदार जानवरों या पक्षियों को दुकान के अंदर न काट सकते है व ना ही दुकान के अन्दर व बाहर जिन्दा रखे जायेंगे। ऐसा करने पर रू0 10,000/– का अर्थदण्ड आरोपित किया जाएगा।

(च) केवल पंजीकृत वधशाला/ट्रेडर से खरीदकर ही मांस बेचा जायेगा। जिसकी खरीद–फरोक्त की रसीद का हिसाब–किताब भी रखना अनिवार्य होगा। दुकान पर मांस विक्रय हेतु खुले में नहीं रखा जाएगा।

(छ) प्रस्तावित मांस की दुकान पर उत्सर्जित जैव अपशिष्टों का निस्तारण विधि संगत रीति से किया जायेगा। दुकान के अन्दर या बाहर किसी भी प्रकार की गन्दगी जैसे अनुपयोगी आंतरिक अंग व बाहरी अंग (offal) सार्वजनिक स्थान पर फैकने/रखने पर रू0 10,000/– का अर्थदण्ड कि कार्यवाही की जाएगी।

(ज) अनापत्ति निर्गत करने हेतु निकटस्थ पड़ोसियों द्वारा आपत्ति/अनापत्ति पत्र प्राप्त कराना होगा।

(झ) प्रस्तावित मीट शॉप पर मक्खियों एवं कीटों से मुक्त रखने हेतु फ्लाई ट्रेपिंग सिस्टम की व्यवस्था के साथ दरवाजे जालीदार/शीशे (काले) का दरवाजे लगा होना चाहिए ताकि जनता को मांस नजर न आए पैस्ट कंट्रोल सर्टिफिकेट आवेदन के साथ संलग्न करना होगा।

(ञ) प्रस्तावित मीट शॉप की ऊंचाई 03 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए।

(ट) प्रस्तावित दुकान आवासीय परिसर में नहीं होनी चाहिए।

(ठ) प्रस्तावित मांस विक्रय प्रतिष्ठान स्वामी की पूर्ण जिम्मेदारी होगी की वह दुकान के अन्दर व बाहर स्वच्छता को बनाये रखेगा।

(ड़) प्रस्तावित मांस विक्रेय प्रतिष्ठान द्वारा यह शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा कि वह देहरादून नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत विधिसंगत रीति से ही मांस का विक्रय करेगा।

1. प्रस्तावित मांस विक्रेय प्रतिष्ठान पर कार्यरत सभी कार्मिकों के स्वास्थ्य परीक्षण सम्बन्धी अभिलेख (हेल्थ सर्टिफिकेट) दुकान पर उपलब्ध होने चाहिए जो कि छः माह से पुराना न हो।
2. प्रस्तावित मांस की दुकान पर प्रयोग होने चाकू, छूरी या किसी भी प्रकार के औजार स्टील के बने होने चाहिए तथा चॉपिंग ब्लॉक खाद्य ग्रेड सिंथेटिक सामग्री का होना चाहिए यदि ब्लॉक लकड़ी का है तो यह पर्याप्त ठोस लकड़ी के तने का होना चाहिए।

9. कोई भी मांस विक्रेता प्रतिष्ठान स्वामी नगर निगम के निरीक्षण अधिकारी को किसी भी समय पर, प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने के लिये आपत्ति नहीं कर सकेगा।
10. उपरोक्त उपविधियों के उल्लंघन पर रदद् की गयी अनापत्ति प्रमाण–पत्र के निरस्तीकरण को पुनर्जीवित करने हेतु नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून के समक्ष अनुरोध प्रस्तुत किया जा सकता है जिस पर निर्णय नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा। दो बार निरस्त की गयी किसी अनापत्ति को किसी भी दशा में पुर्नजीवित नहीं कराया जा सकेगा। उक्त प्रकार के अनुरोध किये जाने हेतु अधिकतम समय सीमा प्रथम निरस्तीकरण के एक माह तक होगी।